[2019] 2 उम. नि. प. 94

मिजोरम राज्य

बनाम

डा. सी. सांगझीना

30 अक्तूबर, 2018

न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) – धारा 13 और 19 [सपठित संविधान, 1950 का अनुच्छेद 20(2) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300(1)] – लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार – अभियोजन के लिए मंजूरी – सक्षम प्राधिकारी की विधिमान्य मंजूरी के अभाव के कारण अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना – सक्षम प्राधिकारी की विधिमान्य मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् नया आरोप पत्र फाइल किया जाना – विधिमान्यता – दोहरे संकट का सिद्धांत – जहां सक्षम प्राधिकारी की विधिमान्य मंजूरी के अभाव के कारण अभियुक्त-लोक सेवक का विचारण प्रारंभ ही न हुआ हो और न्यायालय द्वारा उन्मोचित कर दिया गया हो, वहां सक्षम प्राधिकारी से विधिमान्य मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् नया आरोप पत्र फाइल करने में कोई अड़चन नहीं है और अभियोजन के लिए मंजूरी देने में हुई त्रुटि, लोप या अनियमितता के कारण अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने और न्याय की हानि न होने के कारण "दोहरे संकट" का सिद्धांत लागू नहीं होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध लोक धन का दुर्विनियोग/कुप्रबंधन का अभिकथन करते हुए पुलिस अधीक्षक, मिजोरम, आइजाल को एक शिकायत की गई थी । पुलिस अधीक्षक, एसीबी द्वारा शिकायत के आधार पर जांच की गई और अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध एसीबी मामला रजिस्ट्रीकृत करने के अनुरोध के साथ तारीख 21 अगस्त, 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । जांच के दौरान, यह पता चला कि प्रत्यर्थी ने अपनी मूल्यवान परिसंपत्तियां आय के ज्ञात स्रोतों के अननुपात अर्जित की हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने

पर और मिजोरम सरकार का अनुमोदन लेने के पश्चात् अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ग)(घ)(ङ) के अधीन सतर्कता विभाग, 2009 का एसीबी मामला सं. 3 रजिस्ट्रीकृत किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ग)(घ)(ङ) के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने यह पाया कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन के लिए मंजूरी राज्यपाल की मंजूरी के बिना सीधे तौर पर आयुक्त-सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गई है । विद्वान् न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उचित मंजूरी की कमी के कारण अभियुक्त/प्रत्यर्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से तारीख 12 सितम्बर, 2013 के आदेश द्वारा उन्मोचित कर दिया । विशेष न्यायाधीश ने अपने तारीख 12 सितम्बर, 2013 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ग)(घ)(ङ) के अधीन 2009 के एसीबी मामला सं. 3 से उद्भूत दांडिक मामले को बंद कर दिया । तत्पश्चात्, राज्यपाल द्वारा सामग्री पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् तारीख 8 अप्रैल, 2013 के पूर्ववर्ती आदेश का अधिक्रमण करते हुए पूर्वोक्त अपराधों और विधि के अन्य किसी उपबंध के अधीन दंडनीय अन्य अपराध के लिए प्रत्यर्थी के अभियोजन के लिए तारीख 20 दिसम्बर, 2013 के आदेश द्वारा मंजूरी प्रदान की गई । प्रत्यर्थी के विरुद्ध तारीख 20 दिसम्बर, 2013 को जारी की गई नई मंजूरी को देखते हुए निरीक्षक, एसीबी मिजोरम ने तारीख 30 जनवरी, 2014 को अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध नए/अनुपूरक आरोप पत्र के साथ-साथ अभियोजन चलाने की नई मंजूरी प्रस्तुत की और यह भी अनुरोध किया कि नए/अनुपूरक आरोप पत्र को स्वीकार किया जाए तथा मामले को पुन: खोला जाए । विद्वान् न्यायाधीश, विशेष न्यायालय ने तारीख 26 अगस्त, 2014 के आदेश द्वारा 2014 के एसआर (पीसीए) सं. 8 को यह अभिनिर्धारित करते हुए, खारिज कर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपने ही आदेश का पुनर्विलोकन करने का कोई उपबंध/गुंजाइश

नहीं है । विद्वान् न्यायाधीश ने यह पाया कि द्वितीय आरोप पत्र "दोहरे संकट" के सिद्धांत द्वारा वर्जित है और तद्नुसार, तारीख 26 अगस्त, 2014 के आदेश द्वारा नया आरोप पत्र लेने के आवेदन को खारिज कर दिया । राज्य ने तारीख 26 अगस्त, 2014 तथा 12 सितम्बर, 2013 के पूर्ववर्ती आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 6 फाइल की और उच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायाधीश के इस आदेश की अभिपुष्टि करते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया कि नई मंजूरी के साथ द्वितीय आरोप पत्र को ग्रहण नहीं किया जा सकता है । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि तारीख 12 सितम्बर, 2013 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका परिसीमा द्वारा वर्जित है और राज्य द्वारा पुनरीक्षण याचिका फाइल करने में हुए विलंब के बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । राज्य ने व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रत्यर्थी/अभियुक्त को विचारण प्रारंभ होने से पूर्व ही उचित मंजूरी के अभाव में उन्मोचित कर दिया गया था, इसलिए विधिमान्य मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् नया/अनुपूरक आरोप पत्र फाइल करने में कोई अड़चन नहीं थी । जब तक अभियोजन के लिए मंजूरी देने में हुई गलती, लोप या अनियमितता के कारण न्याय की हानि न हुई हो, अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को दूषित नहीं किया जा सकता है । नया आरोप पत्र फाइल करने से प्रत्यर्थी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही इसके परिणामस्वरूप वह न्याय की हानि होती है जो "दोहरे संकट" के सिद्धांत के अधीन वर्जित है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अधीन यह उपबंधित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 में यह अधिकथित है कि एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जा सकता है । पहले ही विचारण किए गए किसी व्यक्ति के विचारण का वर्जन करने के लिए यह दर्शित किया जाना चाहिए कि – (i) उसका सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध के लिए

विचारण किया जा चुका है जिसके लिए उसे उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसी विचारण में आरोपित या दोषसिद्ध किया जा सकता था ; (ii) उसे विचारण में दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है ; और (iii) ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त है । जहां अभियुक्त का विचारण और दोषसिद्ध या दोषमुक्त ही न किया गया हो, वहां "दोहरे संकट" के सिद्धांत का अवलंब नहीं लिया जा सकता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300(1) का संपूर्ण आधार यह है कि जिस व्यक्ति का सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विचारण किया गया हो और एक बार दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया गया हो, उसी अपराध के लिए उसका विचारण नहीं किया जा सकता है । जैसी कि पहले चर्चा की गई है, प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी/अभियुक्त का विचारण नहीं किया गया था और न ही वह एक पूर्ण विचारण था । दूसरी ओर, विशेष न्यायाधीश द्वारा तारीख 12 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया उन्मोचन आदेश केवल अभियोजन से संबंधित अविधिमान्यता के कारण था । जब प्रत्यर्थी/अभियुक्त को इस प्रकार उन्मोचित उचित मंजूरी के अभाव के कारण किया गया था, तब "दोहरे संकट" का सिद्धांत लागू नहीं होगा । अभियोजन के लिए विधिमान्य मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् नया/अनुपूरक आरोप पत्र फाइल करने के लिए कोई वर्जन नहीं है । विशेष न्यायालय ने जब एक बार यह पाया कि अभियोजन के लिए विधिमान्य मंजूरी नहीं है, तो उसे अभियोजन पक्ष को आवश्यक कार्यवाही करने का निदेश देना चाहिए था । विशेष न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन के लिए विधिमान्य मंजूरी प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया था । सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन के लिए अभिप्राप्त विधिमान्य मंजूरी प्रस्तुत करने के पश्चात् भी विशेष न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेने से इनकार करके गलती की थी और उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय के आदेश की अभिपुष्टि करके ठीक नहीं किया था । विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके ठीक नहीं किया था कि अभियोजन के लिए उचित मंजूरी आदेश के साथ नया आरोप पत्र फाइल करना "दोहरे संकट" के सिद्धांत के अधीन वर्जित है । (पैरा 14, 15 और 16)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 14 एस. सी. सी. 186 : **ननजप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	12, 13
[2005]	(2005) 8 एस. सी. सी. 130 : **गोवा राज्य** बनाम **बाबू थोमस** ।	11, 12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 1322.

2014 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 6 में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, आइजाल पीठ, आइजाल के तारीख 13 अगस्त, 2015 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री डी. महेश बाबू, ए. के. रोखम, (सुश्री) सुचित्रा एच., बी. राम कृष्ण राव और टी. वी. भास्कर रेड्डी

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री मनु मृदुल, शलज मृदुल, (सुश्री) नेहा राय और जितिन चतुर्वेदी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) बानुमती – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील 2014 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 6 में असम उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 13 अगस्त, 2015 को पारित किए गए उस आदेश से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय के उस आदेश की अभिपुष्टि की थी जिसके द्वारा उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ग)(घ)(ङ) के अधीन फाइल किए गए आरोप पत्र को इस आधार पर फाइल पर लेने से इनकार कर दिया था कि यह "दोहरे संकट" के सिद्धांत के अधीन वर्जित है ।

3. संक्षिप्त तथ्य, जिनको लेकर यह अपील की गई, यह हैं कि पीआरआईएसएम के अध्यक्ष द्वारा तारीख 17 फरवरी, 2009 को

अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध लोक धन का दुर्विनियोग/कुप्रबंधन का अभिकथन करते हुए पुलिस अधीक्षक, मिजोरम, आइजाल को एक शिकायत की गई थी । पुलिस अधीक्षक, एसीबी ने शिकायत के आधार पर जांच की और अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध एसीबी मामला रजिस्ट्रीकृत करने के अनुरोध के साथ तारीख 21 अगस्त, 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । जांच के दौरान, यह पता चला कि प्रत्यर्थी ने अपनी मूल्यवान परिसंपत्तियां आय के ज्ञात स्रोतों के अननुपात अर्जित की हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर और मिजोरम सरकार का अनुमोदन लेने के पश्चात् अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ग)(घ)(ङ) के अधीन सतर्कता विभाग, 2009 का एसीबी मामला सं. 3 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

4. भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ग)(घ)(ङ) के अधीन 2013 का आरोप पत्र सं. 6 फाइल किया गया । विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने यह पाया कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन के लिए मंजूरी राज्यपाल की मंजूरी के बिना सीधे तौर पर आयुक्त-सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गई है । विद्वान् न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उचित मंजूरी की कमी के कारण अभियुक्त/प्रत्यर्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से तारीख 12 सितम्बर, 2013 के आदेश द्वारा उन्मोचित कर दिया । विशेष न्यायाधीश ने अपने तारीख 12 सितम्बर, 2013 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ग)(घ)(ङ) के अधीन 2009 के एसीबी मामला सं. 3 से उद्भूत दांडिक मामले को बंद कर दिया ।

5. तत्पश्चात्, राज्यपाल ने सामग्री पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् तारीख 8 अप्रैल, 2013 के पूर्ववर्ती आदेश का अधिक्रमण करते हुए पूर्वोक्त अपराधों और विधि के अन्य किसी उपबंध के अधीन दंडनीय अन्य अपराध के लिए प्रत्यर्थी के अभियोजन के लिए तारीख 20 दिसम्बर, 2013 के आदेश द्वारा मंजूरी प्रदान की । प्रत्यर्थी के विरुद्ध

तारीख 20 दिसम्बर, 2013 को जारी की गई नई मंजूरी को देखते हुए निरीक्षक, एसीबी मिजोरम ने तारीख 30 जनवरी, 2014 को अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध नए/अनुपूरक आरोप पत्र के साथ-साथ अभियोजन चलाने की नई मंजूरी प्रस्तुत की और यह भी अनुरोध किया कि नए/अनुपूरक आरोप पत्र को स्वीकार किया जाए तथा मामले को पुन: खोला जाए ।

6. विद्वान् न्यायाधीश, विशेष न्यायालय ने तारीख 26 अगस्त, 2014 के आदेश द्वारा 2014 के एसआर (पीसीए) सं. 8 को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपने ही आदेश का पुनर्विलोकन करने का कोई उपबंध/गुंजाइश नहीं है । विद्वान् न्यायाधीश ने यह पाया कि द्वितीय आरोप पत्र "दोहरे संकट" के सिद्धांत द्वारा वर्जित है और तद्नुसार, तारीख 26 अगस्त, 2014 के आदेश द्वारा नया आरोप पत्र लेने के आवेदन को खारिज कर दिया ।

7. राज्य ने तारीख 26 अगस्त, 2014 तथा 12 सितम्बर 2013 के पूर्ववर्ती आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 6 फाइल की और उच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायाधीश के इस आदेश की अभिपुष्टि करते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया कि नई मंजूरी के साथ द्वितीय आरोप पत्र को ग्रहण नहीं किया जा सकता है । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि तारीख 12 सितम्बर, 2013 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका परिसीमा द्वारा वर्जित है और राज्य द्वारा पुनरीक्षण याचिका फाइल करने में हुए विलंब के बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

8. हमने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् कांउसेलों को सुना तथा आक्षेपित निर्णय और अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य सामग्री का परिशीलन किया ।

9. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ग)(घ)(ङ) के अधीन 2009 के एसीबी पी. एस. सी. सं. 3 में प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन के लिए मंजूरी आयुक्त-सचिव (कार्मिक

और प्रशासनिक सुधार विभाग), मिजोरम सरकार द्वारा तारीख 8 अप्रैल, 2013 के आदेश द्वारा दी गई थी । आयुक्त-सचिव (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था और मामला उचित मंजूरी के अभाव में बंद किया गया था । चूंकि पूर्ववर्ती मंजूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं दी गई थी, राज्यपाल ने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् तारीख 20 दिसम्बर, 2013 के आदेश द्वारा तारीख 8 अप्रैल, 2013 के पूर्ववर्ती आदेश का अधिक्रमण करते हुए नई मंजूरी दी थी । प्रत्यर्थी के विरुद्ध मिजोरम सरकार द्वारा दी गई अभियोजन के लिए मंजूरी को ध्यान में रखते हुए पुलिस निरीक्षक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ग)(घ)(ङ) के अधीन नया/अनुपूरक आरोप पत्र स्वीकार करने के लिए तारीख 30 जनवरी, 2014 को एक आवेदन किया । चूंकि मंजूरी का पूर्ववर्ती आदेश अविधिमान्य पाया गया था, इसलिए अभियोजन के लिए मंजूरी का उचित आदेश जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के लिए कोई वर्जन नहीं था ।

10. न्यायालयों को अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई मंजूरी में मात्र गलती, लोप या अनियमितता के आधार पर तब तक अभिखंडित या रोकना नहीं चाहिए जब तक कि यह समाधान नहीं हो जाए कि ऐसी गलती, लोप या अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई है । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) और (4) के संयुक्त पठन से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित मंजूरी के अभाव या किसी गलती, लोप या अनियमितता के आधार पर किसी न्यायालय द्वारा अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण में किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित निष्कर्ष, दंडादेश और आदेश को तब तक परिवर्तित या उलटा नहीं जाएगा, जब तक कि उस न्यायालय की राय में उसके कारण वास्तव में न्याय की हानि हुई है । प्रस्तुत मामले में, प्रारंभ में मंजूरी सचिव, मिजोरम सरकार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रदान की गई थी । विशेष न्यायाधीश द्वारा मामले का संज्ञान करने के पश्चात् तारीख 12

सितम्बर, 2013 का आदेश पारित करने से पूर्व यह अभिनिश्चित करने के लिए मामले की परीक्षा करनी चाहिए थी कि क्या मंजूरी में ऐसी गलती या अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय की हानि तो नहीं हुई है । विशेष न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे कोई कारण अभिलिखित नहीं किए गए हैं कि सचिव द्वारा प्रदान की गई अभियोजन के लिए प्रारंभिक मंजूरी के परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई है ।

11. **गोवा राज्य** बनाम **बाबू थोमस**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मंजूरी आदेश पर विचार किया था जो सक्षम नहीं था और ऐसी ही स्थिति प्रस्तुत मामले में है । उस मामले में अभियुक्त के अभियोजन के लिए जारी किए गए द्वितीय आदेश को भी, इस तथ्य के अतिरिक्त कि उस आदेश का प्रवर्तन भूतलक्षी था, असक्षम ठहराया गया था । उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब विशेष न्यायाधीश द्वारा तारीख 29 मार्च, 1995 को संज्ञान लिया गया था, तब अभियोजन की मंजूरी के लिए कोई आदेश नहीं था और परिणामस्वरूप न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता था तथा यह गलती इतनी मूलभूत थी कि इससे न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाहियां अविधिमान्य हो गई थीं । तद्नुसार, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को मान्य ठहराया किंतु अभियुक्त के विरुद्ध किए गए गंभीर अभिकथन को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की नए सिरे से मंजूरी आदेश जारी करने की स्वतंत्रता को आरक्षित रखा ।

12. **ननजप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] वाले मामले में **बाबू थोमस** (उपर्युक्त) वाले मामले को अनुमोदन के साथ निर्दिष्ट किया गया था । कई निर्णयों को निर्दिष्ट करते हुए और यह मत व्यक्त करते हुए कि मंजूरी आदेश के अविधिमान्य होने के बावजूद नई विधिमान्य मंजूरी देने पर द्वितीय विचारण निषिद्ध नहीं है । **ननजप्पा** (उपर्युक्त) वाले मामले में पैरा (22) में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

---

[1] (2005) 8 एस. सी. सी. 130.

[2] (2015) 14 एस. सी. सी. 186.

"22. इस प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अधीन मंजूरी के महत्व के संबंध में विधिक स्थिति पर्याप्त स्पष्ट है और अस्पष्टता की बात स्वीकार नहीं की जा सकती है । कानून में किसी लोक सेवक के विरुद्ध धारा 19(1) के खंड (क), (ख) और (ग) के निबंधनों के अनुसार मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना प्रतिषिद्ध किया गया है । ऐसी मंजूरी की विधिमान्यता से संबंधित प्रश्न कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर उठाया जा सकता है । अभियुक्त का विचारण करने की न्यायालय की सक्षमता विधिमान्य मंजूरी की विद्यमानता पर बहुत अधिक निर्भर करती है । यदि मंजूरी का अविधिमान्य होना पाया जाता है, तो न्यायालय पक्षकारों को उसी प्रक्रम पर लौटाते हुए, जहां पर सक्षम प्राधिकारी अभियोजन चलाने के लिए विधि के अनुसार नए सिरे से मंजूरी दे सकता है, अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है । यदि विचारण न्यायालय मंजूरी आदेश के अविधिमान्य होने के बावजूद कार्यवाही करता है, तो ऐसी कार्यवाही विधि की दृष्टि में अस्तित्वहीन समझी जाएगी और ऐसा अभियोजन चलाने के लिए विधिमान्य मंजूरी देने पर उन्हीं अपराधों के लिए द्वितीय विचारण निषिद्ध नहीं होगा ।"

13. **ननजप्पा** (उपर्युक्त) वाले मामले में अनेक निर्णयों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् इस न्यायालय ने पैरा (23) में सिद्धांतों का निम्नलिखित सारांश दिया :–

"23. ऐसा मत व्यक्त करने के पश्चात् इसके दो पहलू हैं जिन पर हमें तुरंत विचार करना होगा । पहला, धारा 19 की उपधारा (3) के प्रभाव से संबंधित है, जो सर्वोपरि खंड से आरंभ होती है । इसी पहलू से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 भी सुसंगत है, जिसे हमने पहले उद्धृत किया है ।

.....

23.2. धारा 19 की उपधारा (3) के सावधानीपूर्वक वाचन से यह दर्शित होता है कि इस धारा में किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किसी निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश को इस आधार पर कि

मंजूरी में कोई गलती, लोप या अनियमितता है तब तक उलटने या परिवर्तित करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है जब तक कि उस न्यायालय की जिसके समक्ष ऐसे निर्ष्ष, दंडादेश या आदेश को अपील या पुनरीक्षण में चुनौती दी जाती है, यह राय न हो कि ऐसी गलती, लोप या अनियमितता के कारण न्याय की हानि हुई है । दूसरे शब्दों में, उपधारा (3) में विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण कार्यवाहियों में मात्र इस आधार पर कि मंजूरी दूषित है, उन मामलों के सिवाय हस्तक्षेप करने के लिए निषिद्ध किया गया है जहां अपील या पुनरीक्षण न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ऐसी अविधिमान्यता के कारण न्याय की हानि हुई है । उल्लेखनीय बात यह है कि उपधारा (3) विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती है, जो तब अभियुक्त को उन्मोचित करते हुए आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है यदि उसकी यह राय यह है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए विधिमान्य मंजूरी आदेश धारा 19(1) के अधीन अपेक्षित अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

23.3. हमारी राय में, उपधारा (3) में किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को मंजूरी के आदेश में किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के आधार पर उलटने के लिए प्रतिषेध परिकल्पित है । यह धारा किसी विशेष न्यायाधीश को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर यह अभिनिर्धारित करते हुए आदेश पारित करने से नहीं रोकती है कि अभियोजन चलाने की मंजूरी देने वाले विधिमान्य आदेश के अभाव में अभियोजन चलने योग्य नहीं है ।

23.4. हमारी राय में, उपधारा (3) में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है । हमारी राय में, यह बात उपधारा (4) में प्रयुक्त भाषा से भी पर्याप्त रूप से स्पष्ट होती है, जिसके अनुसार अपील या पुनरीक्षण न्यायालय यह परीक्षा करते समय कि क्या मंजूरी में गलती, लोप या अनियमितता के कारण न्याय की कोई हानि हुई है इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि क्या आक्षेप किसी पूर्ववर्ती प्रक्रम पर उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था । यह कहना

पर्याप्त होगा कि धारा 19(3) और (4) के संयुक्त वाचन से संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि उक्त उपबंध में मंजूरी के आदेश की विधिमान्यता या विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश सहित कार्यवाहियों की विधिमान्यता को किसी उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपील या पुनरीक्षण में चुनौती दिया जाना परिकल्पित है न कि अभियुक्त का विचारण कर रहे विशेष न्यायाधीश के समक्ष ।

23.5. स्पष्ट रूप से, इस उपबंध के अधीन तर्क-आधार यह है कि यदि विचारण का समापन हो गया है और परिणामस्वरूप कोई निष्कर्ष निकाला गया है या दंडादेश दिया गया है, तो अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा इसमें हल्केपन से केवल इस कारण हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए कि अभियोजन चलाने की मंजूरी देने वाले धारा 19(1) के अधीन आदेश में कुछ गलती, लोप या अनियमितता है । न्याय की हानि वह है जो ऐसे मामलों में अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के सामने आए । और यह परीक्षा करते हुए कि क्या ऐसी कोई न्याय की हानि वास्तव में हुई है, संबंधित न्यायालय इस बात को भी ध्यान में रखेगा कि क्या मंजूरी में गलती, लोप या अनियमितता से संबंधित आक्षेप कार्यवाहियों के पूर्ववर्ती प्रक्रम पर उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था, कहने का तात्पर्य यह है कि क्या ऐसा आक्षेप अपील या पुनरीक्षण में किए जाने के बजाय विचारण के प्रक्रम पर किया जा सकता था या किया जाना चाहिए था ।"

14. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में प्रस्तुत मामले पर विचार करते हुए, चूंकि प्रत्यर्थी/अभियुक्त को विचारण प्रारंभ होने से पूर्व ही उचित मंजूरी के अभाव में उन्मोचित कर दिया गया था, इसलिए विधिमान्य मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् नया/अनुपूरक आरोप पत्र फाइल करने में कोई अड़चन नहीं थी । जब तक अभियोजन के लिए मंजूरी देने में हुई गलती, लोप या अनियमितता के कारण न्याय की हानि न हुई हो, अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को दूषित नहीं किया जा सकता है । नया आरोप पत्र फाइल करने से प्रत्यर्थी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही इसके परिणामस्वरूप वह न्याय की हानि होती है जो

"दोहरे संकट" के सिद्धांत के अधीन वर्जित है ।

15. भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अधीन यह उपबंधित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 में यह अधिकथित है कि एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जा सकता है । पहले ही विचारण किए गए किसी व्यक्ति के विचारण का वर्जन करने के लिए यह दर्शित किया जाना चाहिए कि – (i) उसका सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा चुका है जिसके लिए उसे उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसी विचारण में आरोपित या दोषसिद्ध किया जा सकता था ; (ii) उसे विचारण में दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है ; और (iii) ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त है । जहां अभियुक्त का विचारण और दोषसिद्ध या दोषमुक्त ही न किया गया हो, वहां "दोहरे संकट" के सिद्धांत का अवलंब नहीं लिया जा सकता है ।

16. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300(1) का संपूर्ण आधार यह है कि जिस व्यक्ति का सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विचारण किया गया हो और एक बार दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया गया हो, उसी अपराध के लिए उसका विचारण नहीं किया जा सकता है । जैसी कि पहले चर्चा की गई है, प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी/अभियुक्त का विचारण नहीं किया गया था और न ही वह एक पूर्ण विचारण था । दूसरी ओर, विशेष न्यायाधीश द्वारा तारीख 12 सितम्बर, 2013 को पारित किया गया उन्मोचन आदेश केवल अभियोजन से संबंधित अविधिमान्यता के कारण था । जब प्रत्यर्थी/अभियुक्त को इस प्रकार उन्मोचित उचित मंजूरी के अभाव के कारण किया गया था, तब "दोहरे संकट" का सिद्धांत लागू नहीं होगा । अभियोजन के लिए विधिमान्य मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् नया/अनुपूरक आरोप पत्र फाइल करने के लिए कोई वर्जन नहीं है । विशेष न्यायालय ने जब एक बार यह पाया कि अभियोजन के लिए विधिमान्य मंजूरी नहीं है, तो उसे अभियोजन पक्ष को आवश्यक कार्यवाही करने का निदेश देना चाहिए था । विशेष न्यायालय ने सक्षम

प्राधिकारी से अभियोजन के लिए विधिमान्य मंजूरी प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया था । सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन के लिए अभिप्राप्त विधिमान्य मंजूरी प्रस्तुत करने के पश्चात् भी विशेष न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेने से इनकार करके गलती की थी और उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय के आदेश की अभिपुष्टि करके ठीक नहीं किया था । विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके ठीक नहीं किया था कि अभियोजन के लिए उचित मंजूरी आदेश के साथ नया आरोप पत्र फाइल करना "दोहरे संकट" के सिद्धांत के अधीन वर्जित है ।

17. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए उपाबंधों की ओर दिलाया और यह दलील दी कि प्रत्यर्थी को तारीख 8 जुलाई, 2013 के आदेश द्वारा विभिन्न आरोपों के आधार पर चल रही विभागीय कार्यवाहियों से माफ कर दिया गया है । हम इस दलील के गुणागुण पर विचार करना नहीं चाहते हैं और प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सभी दलीलों को अनिर्णीत रखा जाता है ।

18. परिणामत:, तारीख 13 अगस्त, 2015 का आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है और यह अपील मंजूर की जाती है । विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आइजाल, मिजोरम को निदेश दिया जाता है कि फाइल पर 2009 के एसीबी पी. एफ. सी. सं. 3 में तारीख 30 जनवरी, 2014 के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए और इस पर विधि के अनुसार कार्यवाही की जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.